फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक गिर्वा, उदयपुर

वादी : भीमसिंह　　　　बनाम　　　　प्रतिवादी : किर्ति गांधी

किस्म मुकदमा :वाद　　　　प्रकरण संख्या : 44/24

दिनांकः 18.04.2024

पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रकरण साक्ष्य वादी हेतु नियत है। न्यायालय द्वारा रूक रूक कर तीन बार आवाज लगवाई गई,किन्तु वादीगण एवं वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए ना ही न्यायालय समय के अन्त तक उपस्थित हुए। जिससे जाहिर होता है कि वादीगण अपने वाद के प्रति गंभीर नहीं है एवं उक्त वाद में प्रभावी पैरवी नहीं करना चाहते है।

अतः वादी का वाद आदेश 9 नियम 8 के अर्न्तगत अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज किया जाता है।

निर्णय सरेईजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

रमेश सीरवी पुनाड़िया आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर फा.ट्रै.
गिर्वा–उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.05.29 17:02:14 IST
Reason: SelfAttested